

आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 108/2022

1. मुकेश कुमार पुत्र केशरदेव जाति जाट निवासी ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर
2. चितरंजन अग्रवाल पुत्र नौरगलाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी पंसारी भवन, भाटी मेशन के सामने बजाज रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर

—वादीगण—

बनाम

1. नागरमल पुत्र पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी चन्दपुरा हाल आबाद वार्ड नं0 4 शर्मा भवन, विनायक विहार नवलगढ जिला झुन्झुनू
2. जगदीश प्रसाद पुत्र पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी चन्दपुरा तहसील व जिला सीकर
3. परमेश्वरी देवी पत्नी पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी चन्दपुरा हाल निवासीनी ग्राम फागलवा तहसील धोद जिला सीकर।
4. तहसीलदार, सीकर

— प्रतिवादीगण —

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भूअ/2022/3895 दिनांक 16.8.2022 के अनुसार अंतिम डिक्री दी जाती है। तहसीलदार का विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार अमल दरामद करें।

(गरिमा लाटा)

उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	36.00
अर्जी के लिए स्टाम्प	36.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्लीडर की फीस		36.00	प्लीडर की फीस
साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	36.00		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
आदेशिका की तामील		36.00	आदेशिका की तामील
कमिश्नर की फीस	36.00		कमिश्नर की फीस
जोड़		41.00	जोड़

आज तारीख 24.8.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी सीकर